16/05/25

पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु अ. रामगोपाल
जाटव एवं वि. कांस्टेबल ने उपस्थित होकर
श्री सुरेन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रकरण हाजरी का
अवसर देकर उन्हें उनके पक्ष में प्रस्तुत हुई
के संबंध में क्रियवार कथन है कि
पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो
चुका है और लोक अदालत की मध्यस्थता
प्रकरण है अतः उक्त रिट याचिका वापस करते हैं
कोई भी पक्षकार अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह
अधिवक्ता द्वारा भी कोई मांग करते न
लिखित में कोई रिट याचिका दिये जाने
के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण खारिज
किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह

पक्षकार
अधिवक्ता